


FORM No. III
APP-A
Crime-I
फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खीवसर बनाम खेतसिंह वगैराह
नं. 52सन्. 2020.

शीख हुक्म 23.01.2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
	<p>राजपेरोकार ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध रा.प्रा.पत्र 212 आरटीएक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण दर्ज करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावे क्योंकि उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है। राजपेरोकार के निवेदन पर इन्हें एक पक्षीय सुना गया तथा पत्रावली पर मौजूद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अतः आगामी आदेश तक बहक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा भेड़ के विवादीत खेत ख.न. 155 रकबा 04.15 बीघा की अप्रार्थी मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त खसरान का बैचान, हस्तान्तरण, रहन, एवं कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया जावे अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरिये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली जबाव हेतु दिनांक 26.02.2020 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>26/3 पक्षकार/पक्षकारान के अधिकारता उपस्थित</p> <p>प्रमाणित/प्रमाणित जो रीटिंग में/प्रमाण/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 5/5 को प्रस्तुत हो।</p> <p>5/5 पक्षकार/पक्षकारान के अधिकारता उपस्थित</p> <p>प्रमाणित/प्रमाणित जो रीटिंग में/प्रमाण/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 6/5 को प्रस्तुत हो।</p> <p>6/7 पक्षकार/पक्षकारान के अधिकारता उपस्थित</p> <p>प्रमाणित/प्रमाणित जो रीटिंग में/प्रमाण/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 11/8/20 को प्रस्तुत हो।</p>	


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

09/2020

पञ्जाबी-पेशवा नकील-पुस्तिका
उपरोक्त पुस्तिका का मेरील बाद
तामिल प्राप्ति, भगद गोटभर इसके
विद्वत्-एक पञ्जाबी-कार्यवाही प्रणाली
में लाई जाती है नकील-पुस्तिका-की-
एक पञ्जाबी-बारदा हुनी गई।
नकील-पुस्तिका-की-बारदा,
पञ्जाबी-पर मेरुड-देवता-के-
मामा-पर पुनः मेरुड-देवता-के-
23.1.2020 को भी-लेखना-
मिना-मामा-के-पञ्जाबी-प्रणाली-
भुगत-देवता-बाद-मे-एक-पुस्तिका-
दखरिया


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खींवर